उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5452/62-2-2017-20एम0आई0/2017
लखनऊ: दिनांक: 06 सितम्बर,2017

कार्यालय ज्ञाप

जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में बुन्देलखण्ड पैकेज योजना के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग व जिला योजना में चेकडैम निर्माण व कूप निर्माण में पायी गई अनियमितता की जॉच टी0ए0सी0 से करायी गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन साहयक अभियंता, लघु सिंचाई हमीरपुर सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई आपूर्ति खण्ड, लखनऊ तथा सर्वश्री कुलदीप कुमार, बृजेश कुमार राठौर, सूर्यनाथ एवं सुभाष चन्द्र मौर्य, अवर अभियंताओं के विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2996/62-2-2016, दिनांक 25.01.2017 द्वारा श्री दीनानाथ गुप्ता, विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री दीनानाथ गुप्ता के पत्र दिनांक 29.6.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.03.2017 से 30.6.2017 तक अस्वस्थ रहने व दिनांक 30.6.2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उपलब्ध कराये गये पत्रों तथा प्राप्त पत्रों को मूलरूप में वापस कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, लघु सिचाई वृत्त, झॉसी को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5452(1)/62-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, लघु सिचाई वृत्त, झॉसी/जॉच अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई हमीरपुर सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई आपूर्ति खण्ड, लखनऊ एवं सर्वश्री कुलदीप कुमार, बृजेश कुमार राठौर, सूर्यनाथ एवं सुभाष चन्द्र मौर्य, अवर अभियंताओं के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियाँ संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना से शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायें।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अवर अभियंताओं के आरोप पत्र अनुमोदनोपरांत जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- जिलाधिकारी, इमीरपुर के पत्र सं0-650/एस0टी0, दिनांक 30.5.2015 के क्रम में।

4- संबंधित अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।